60

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 2127-दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-10-2014 अपील - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 302/2010-11 अपील

गोकुल प्रसाद तिवारी पुत्र दलवीर प्रसाद तिवारी
ग्राम बरा तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0 ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पा.

(अपीलांट के अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 03 -2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 302/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलाल ने कलेक्टर सतना को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करके ग्राम महदेवा की भूमि सर्वे क्रमांक 196/1 रकबा 6-27 ए. पर भूमिस्वामित्व मांगा है , जो प्रदान किया जावे। कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक 3 अ-1/2009-10 में आदेश दिनांक 20-7-2010 पारित किया तथा कब्जे के आधार पर शासकीय भूमि पर भूमिस्वामित्व दर्ज नहीं करना निर्णीत किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक

302/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2014 से अपील खारिज कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

5/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट ने ग्राम महदेवा की भूमि सर्वे कमांक 196/1 रकबा 6-27 ए. निजी स्वामित्व पर मान्य किये जाने हेतु आवेदन संहिता की धारा 57 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान को दिया था। अनुविभागीय अधिकारी ने इस भूमि को अपीलांट के भूमिस्वामित्व पर दर्ज करने के प्रस्ताव कलेक्टर सतना को प्रतिप्रेषित किये थे परन्तु कलेक्टर सतना ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही यह लिखकर मूल प्रकरण वापिस कर दिया कि कब्जे के आधार पर भूमिस्वामित्व पर दर्ज किया जाना संभव नहीं है। कलेक्टर का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है और जब कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 20-7-10 की कमियां बताते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील की गई। अपर आयुक्त ने वास्तविक स्थिति जाने बिना ही सरसरी तौर पर अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावें।

6/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है एंव अपीलांट स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ग्राम महदेवा की भूमि सर्वे कमांक 196/1 रकबा 6-27 ए. शासन के अभिलेख में शासकीय दर्ज है जिस पर उसका कब्जा है तब क्या कब्जे के आधार पर संहिता की धारा 57 के अंतर्गत अपीलांट को शासकीय भूमि पर स्वामित्व प्रदान किया जा सकता है। जब मौके पर भूमि मध्य प्रदेश शासन की अभिलेख में दर्ज है एंव ग्रामीणों के सार्वजनिक हित हेतु आरक्षित है तब सार्वजनिक हित की आरक्षित शासकीय भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को बेजा कब्जा कर लेने से संहिता की धारा 57 के अंतर्गत स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता और इन्हीं कारणों से विद्वान अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 302/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2014 के पद 3 में अंकित किया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व

संहिता 1959 की धारा 57(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि 57(2) के तहत उन्हीं कब्जेदारों को भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त होंगे जिनका नाम कास्तकार के रूप में आराजी में दिनांक 2-10-59 के पूर्व कब्जेदार के रूप में दर्ज रही हों, जबकि ग्राम महदेवा की भूमि सर्वे क्रमांक 196/1 रकबा 6-27 ए. शासन के अभिलेख में शासकीय दर्ज है एंव अपीलांट का इस भूमि पर 2-10-59 को कास्तकार के रूप में नाम भी दर्ज नहीं है जिसके कारण अपीलांट संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। कलेक्टर सतना व्दारा आदेश दिनांक 20-7-10 में दिये गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 9-10-2014 में दिये गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 302/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर